न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर(राज.)

पीठासीन अधिकारी जसमीत सिंह संधू आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 02 / 2023(रा.गु.नि.) जीसीएमएस:2023 / 22

सरकार जरिये थानाधिकारी सलूम्बर जिला सलूम्बर(राज.)

..........प्रार्थी

बनाम

लसिया उर्फ लक्ष्मण मीणा निवासी वेण सरवणी डामोर फला, थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर

.......गैरसायल

अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975

निर्णय

दिनांक–29.05.24

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि, अपराधी श्री लसिया उर्फ लक्ष्मण पिता मोता मीणा उम्र 28 वर्ष पैशा मजदूरी निवासी वेण सरवणी डामोर फला पुलिस थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर का रहने वाला हो कर थाना हाजा का हिस्ट्रीशीटर है जो आदतन् अपराधी है। यह चोरी, अवैध रूप मारपीट, लुट, नकबजनी करने का आदी है। उक्त व्यक्ति के विरूद्व मारपीट, चोरी, लुट, नकबजनी में प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय मे जैर ट्रायल है। उक्त व्यक्ति अपनी गतिविधियों से बाज नही आ रहा है। इसके भय से सर्कल में आम जन में डर व्याप्त होने की वजह से कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्व उक्त द्वारा किये गये अपराध की ईतला देने या गवाही देने को तैयार नही है। ऐसे अपराधी के अपराधों पर अंकुश लगाना नितांत आवश्यक है। उक्त बदमाश को पाबन्द कराने के बावजूद भी अपनी अपराधिक गतिविधियों से बाज नही आ रहा हैं। अपराधी लसिया उर्फ लक्ष्मण पिता मोता मीणा उम्र 28 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी वेण सरवणी डामोर फला पुलिस थाना सलूम्बर के विरूद्व विगत 6 माह की अवधि मे 1. 172 / 22 धारा 457, 380 भादस दिनांक 01.11.22 चार्जशीट नम्बर 47 / 23 दिनांक 31.03.23 थाना झल्लारा 2. 207 / 22 धारा 394, 34 भादस दिनांक 14.12.22

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर (राज.)

जिला कलक्टर
सलूम्बर (राज.)

चार्जशीट नम्बर 46/23 दिनांक 31.03.23 थाना झल्लारा 3. चार्जशीट नम्बर 274/22 धारा 457, 380 भादस दिनांक 21.11.22 थाना सलूम्बर जैर तफतीश 4. 01/023 धारा 399, 402 भादस व 4/25 आर्म्स एक्ट दिनांक 01.01.23 चार्जशीट नम्बर 01/23 दिनांक 10.01.23 थाना सलूम्बर में अन्वेषण उपरान्त चार्जशीट प्रस्तुत हुई जो माननीय न्यायालय में जैर ट्रायल है उक्त अपराधी धारा 2(7) राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अनुसार गुण्डा की श्रेणी में आता है। अतः अपराधी लसिया उर्फ लक्ष्मण पिता मोता मीणा उम्र 28 पैशा मजदूरी निवासी वेण सरवणी डामोर फला पुलिस थाना सलूम्बर जिला सलूम्बर के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा अधिनियम की धारा 3 के तहत ईस्तगासा श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट महोदय की सेवामें सादर प्रेषित कर निवेदन है कि ट्रायल उपरान्त इस गुण्डा व्यक्ति को उसके रहवासी क्षेत्र से बाहर भेजा जावे।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब कर नोटिस तामिल कराया गया। गैरसायल द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया न ही बहस की गई। हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया यह पाया जाता है कि प्रार्थी द्वारा उक्त इस्तगासा धारा 3 के अन्तर्गत कार्यावाही के प्रारम्भ किये जाने के तुरन्त पूर्व छः माह की अवधि के दौरान कम से कम तीन अवसरों पर धारा 2 (ख) के खण्ड (1), (6) या (8) में वर्णित अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में साबित नही हो रहा है, गैरसायल के विरूद्ध 2022 से 2023 तक कुल 04 प्रकरण दर्ज है जिसमे से 3 जैर ट्रायल पर है व 1 प्रकरण पेण्डिंग अनुसंधान है एवं दिनांक 01.01.2023 के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं होना प्रतिवेदित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घोषित किये जाने की परिभाषा को साबित नही करने से इस्तगासा खारीज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर
सलूम्बर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सलूम्बर (राज.)